कार्यालय :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।

झारखण्ड सरकार

E-mail : dfobokarodivision@rediffmail.com Phone no : +91-6542-265142

पत्रांक :– 1289 दिनांक :– 22/4/19

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

विषय :– **मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड हेतु 184.23हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध मे।**

प्रसंग :– **प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह–कार्यकारी–निर्देशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 407, दिनांक 11.04.2019 तथा मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड का पंत्राक शून्य, दिनांक 18.04.2019।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र पर उठाये गये विन्दुओ पर प्रयोक्ता अभिकरण मे0 इलेक्ट्रो स्टील स्टील्स लि0,सियालजोरी बोकारो द्वारा उनके पत्रांक 18.04.2019 (इस कार्यालय मे दि0.22.04.2019 को प्राप्त) द्वारा अपना जबाव समर्पित करते हुए त्रुटियो का निराकरण किया गया है जिसका बिन्दुवार जबाव निम्नवत है–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपायुक्त,बोकारो के पत्रांक XXI-35/20,2014/76, दिनांक 30.01. 2019 की प्रति संलग्न किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस मामले कुल 84.96 हे0 (209.94 एकड़) जंगलझाड़ी भूमि का अपयोजन प्रस्ताव किया गया है, जिसमे 79.79 हे0(197.16 एकड़) गैरमजरूआ जंगलझाड़ी है तथा 5.17 हेतु (12.78 एकड़) रैयती जंगल झांड़ी है। गैरमजरूआ–जंगलझाड़ी के संबंध मे अपयोजनकर्ता द्वारा उपायुक्त बोकारो के पत्रांक 2469 दि0. 17.11.2018 को भी संलग्न किया गया है जिसके अनुसार चास अंचल मे 196.16 एकड़ तथा चन्दनकियारी अंचल मे 1.00 एकड़ दोनों मिलाकर कुल 197.16 एकड़ जगलझाड़ी भूमि के लीज बन्दोवस्ती हेतु भूमि के मूल्य के लिए क्रमशः रू0 21,96,00,905.00 तथा रू0 2095807.50 का डिमांड नोट दिया गया था एवं अपयोजनकर्ता द्वारा इस राशि को दिनांक 18.12.2018 को जमा कराया जा चुका है। अपयोजनकर्ता कंपनी द्वारा 12.78 एकड़ रैयती जंगलझाड़ी के संबंध मे बताया गया है कि इनका क्रय संबंधित भूस्वामियो से किया जा चुका है एवं इस संबंधित रजिस्ट्रेशन डीड की प्रतियों को संलग्न किया गया है।
2. पार्ट II के बिन्दु 11 पर अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि मे से 89.43 हे0 पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानो का उल्लंघन प्रतिवेदित किया गया है, जिसे सुधार दिया गया है। कुल वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लघंन का एरिया अधिसूचित वनभूमि 89.43 हे0 एवं

जंगल–झाड़ी दर्ज भूमि 84.96 हे0 यानि 174.39 हे0 है। उल्लेखनीय है कि जंगलझांड़ी भूमि पर अतिक्रमण के विरूद्ध जिला प्रशासन के स्तर से किसी कार्रवाई की सूचना नहीं है।

जहाँ तक उपायुक्त बोकारो के पत्रांक 02 मु0/गो0 दि0.29.06.2012 का प्रश्न है तो अपयोजनकर्ता द्वारा यह बताया गया है यह पत्र मे0 इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड (पूर्व मे इलेक्ट्रो स्टील इन्टिग्रेटेड लि0) से संबंधित नही है बल्कि मे0 इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड से संबंधित है जिसका उनके साथ कोई संबंध नही है। इस मामले मे प्रस्ताव मिलने के उपरान्त आवेदित क्षेत्र की जाँच वन क्षेत्र पदाधिकारी चास के नेतृत्व मे कराया गया एवं अपयोजनकर्ता मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड के अन्तर्गत वन एवं जंगलझाड़ी भूमि का स्थिति निम्नवत पाया गया :–

	हे0	एकड़
वनभूमि	96.26	245.28
जंलझाड़ी भूमि	84.97	209.95
	184.23	455.23

3. पार्ट II के बिन्दु 13 पर गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत चयनित CA Land से संबंधित ग्रामों पारसबनी, अंगैया, मंझलाडीह, पीहरा, मनीमहोडर एवं महुवार को अंकित करते हुए संबंधित ग्रामों का संशोधित अभिलेख यथा स्थलवार DGPS map एवं Toposheet Location Upload कर दिया गया है।

4. लोहरदगा वन प्रमण्डल के अधीन क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित 4 ग्रामों में 65.743 हे0 क्षेत्रफल में मात्र 18.00 हे0 में 19800 पौधा लगाया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार के वर्तमान दिशा निर्देश के अनुसार क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित 65.743 हे0 पर कम से कम 1000 पौधें/हे0 के मापदण्ड के अनुसार अवशेष बचे 45945 पौधों (65743–19800) के वृक्षारोपण हेतु इस प्रमण्डल के अन्तर्गत ही अवकृष्ट सुरक्षित वन महाल (थाना एवं थाना संख्या– चन्दनकियारी, 225) के ग्रॉस रकवा– 43.99 हे0 (नेट रकवा 40.00 हे0) में कुल 66640 पौधों के वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव सभी संबंधित अभिलेखों यथा DGPS map, Totosheet Location, Suitability Certificate एवं प्राक्कलन के साथ Upload कर दिया गया है।

5. CA Land का Uploaded KML File पर स्थलवार CA Land चिन्हित कर Upload कर दिया गया है।

6. पार्ट II के बिन्दु 16 पर Uploaded recommendation में चार शर्त अंकित किया गया था जिसे बाद में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-80/2010FC दिनांक 15.10.2018 में मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, रामगढ़ के समकक्षीय मामले में अतिक्रमित भूमि के दुगुनी क्षेत्रफल पर अवकृष्ट वन में Penal compensatory afforestation के शर्त

के अलोक में पाँचवा शर्त जोड़ा गया, परन्तु Upload करने समय इस बिन्दु में addition संभव नहीं हो पाया। अतः इस अनुशंसा को additional document 13(iii)(1) के रूप में Upload किया गया। अतः इसे 5 शर्त के साथ अनुशंसा समझा जा सकता है।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Part I के विन्दु पर जंगलझाड़ी भुमि से संबंधित निर्गत FRA Certificate की प्रति upload कर दिया है।

8. Part I के विन्दु L (iv). 1(C) पर CA Land का uploaded KML को Mark करके पुनः upload किया गया है। विन्दु L (iv) 1 (f) पर CA Land ownership से संबंधित अभिलेख के रूप मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपायुक्त, लोहरदगा का पत्रांक 1722 दि0 19.12.2018 को upload कर दिया गया है।

9. Part I के विन्दु L (iv).2(c) पर CA Land का uploaded KML file को मार्क कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आलोक मे प्रयोक्ता अभिकरण के प्रासंगिक पत्र की सभी अनुलग्नक सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0—यथोक्त (सात प्रतियों मे)।

आपका विश्वासी,

25/04/19

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।

O/C